

100/- का कोर्ट फीस का प्रमाण पत्र
दिनांक 6/6/18

[Handwritten signature]

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

6/6/18

पञ्चपरम वित्त विभाग के द्वारा

राजस्थान न्याय अभियान 2018 के अंतर्गत
केन्द्र राजस्थान केन्द्र द्वारा पञ्चपरम वित्त

विभाग द्वारा, न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग

केन्द्र द्वारा न्यायिक वित्त विभाग



अपवन्त अधिकारी एवं

सहायक कोषी

आयुक्त (वित्त विभाग)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

राज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

लास श्री कै. शाहपुरा, 12/8

बनाम श्री श्री. लालचंद व श्री. राजश्री

राजश्री व श्री. लालचंद

राजश्री (वैवाहिक) मित्र

श्री. लालचंद (वैवाहिक)

श्री. लालचंद व श्री. राजश्री

श्री. लालचंद

राजश्री

श्री. लालचंद - वकील

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTI राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर 20 सन् 17

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व 4 मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

पक्षकारों के मध्य अदालत अदालत के आदेशों के तहत एक-दूसरे को पैसे देना
पक्षकारों के मध्य पैसे नहीं मांगने के आदेशों के तहत अदालत है

निरा मुबलिमा कोषत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द
संश्लेषणी नक असा कते ।
संश्लेषणी मेरे अस्तखत मोहर से आज तारीख 6 माह 6 सन् 18



उपखण्ड अधिकारी एवं
राज अदालत अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)